नवीन निजी महाविद्यालय / नवीन संकाय / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी संशोधित निर्देश – मार्गदर्शिका सत्र 2007–08 से आगामी वर्षो के लिये

Amended Guidelines regarding opening of New Private Colleges / New Faculties / New subjects and Continuation of running Courses From Session 2007-08 and onwards

नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एंव पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी निर्देश मार्गदर्शिका

(Guidelines regarding opening of New Private Colleges / New Faculties / New subjects and Continuation of running Courses)

स.क्र (S.No.)	विषय (Subject)	पृष्ठ क्रमांक (Pg.No.)
1.	भूमिका (Background)	..3
2.	आवश्यक शर्ते (Necessary conditions)	..4
3.	आवेदन शुल्क (Application Fee)	..5
4.	चल सम्पत्ति (Requirement of Movable property)	..7
5 .	अचल सम्पत्ति (Requirement of Immovable property)	..8
6.	अनुमति हेतु पात्र संकाय/पाठ्यक्रम व आवेदन की विधि (Recognised faculties / Courses)	..9
7.	कालेज में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति (Appointment to teaching/non-teaching posts in colleges)	..11
8.	आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया एंव अंतिम तिथियां (Procedure for submitting of application forms & last dates)	..12
9.	निरीक्षण और उसके बाद अनुमति देने की प्रक्रिया (Procedure for granting of permission after inspection)	..13
10.	मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद की प्रक्रिया–प्रावधान (Procedure after grant of permission)	..14
11.	आवेदन अस्वीकृत किये जाने की सूचना व असंतुष्टि पर अभ्यावेदन/अपील व्यवस्था (Rejecting application form & provision of Appeal)	..15
12.	अल्प संख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नये कालेजो का खोला जाना (Opening of new colleges by Minority institutions)	..16
13	आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रो में चल–अचल सम्पत्ति में छूट **(Relaxation in moveble & immoveble property in Tribal Area)**	..17

आवेदन पत्र

APPLICATION FORM

1.	नया कालेज प्रारंभ करने संबंधी आवेदन पत्र प्रारूप (Application form for opening of New Colleges)	..18
2.	विद्यमान कालेज में नये संकाय/कक्षा/विषय प्रांरभ करने संबंधी आवेदन पत्र प्रारूप (Opening of New Faculties/Classes/Subject in existing colleges)	..22
3.	चेक लिस्ट (Check list)	..25
4.	चालान फार्म का प्रारूप (Sample of a Chalan form)	..27
5.	एफ.डी.आर. का प्रारूप (Sample of a Fixed Deposit Receipt)	..28
6.	अचल सम्पत्ति का प्रमाणपत्र प्रारूप (Sample of a Certificate regarding immovable property)	..29

1. भूमिका

1. मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउन्सिल और कार्यकारी परिषद् शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता पर आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति के उपरांत ही विचार कर सकती है । इन प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि राज्य में अच्छे स्तर के एवं उत्तम शिक्षा देने हेतु सक्षम, समर्थ निजी महाविद्यालय खोले जावें । इन महाविद्यालयों के पास आवश्यक स्तरीय अधोसंरचना हो । साथ ही अध्यापन स्टाफ भी योग्य हो । कुल मिला कर इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है ।

   इन प्रावधानों के तहत् आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में शासन व्दारा निर्धारित जरूरी शर्तो को पूरी करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित समय अन्तर्गत भेजे जाने चाहिये ।

2. जुलाई 2007 एवं उसके बाद के वर्षो से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र में शुरू किये जाने वाले नये प्राईवेट कालेजों के लिये तथा पहले से चल रहे कालेजों में नये विषय / नई कक्षायें शुरू करने के लिये मार्गदर्शिका एवं आवश्यक आवेदन पत्रों का प्रारूप आवश्यक शर्तो के साथ दिया जा रहा है ।

3. पृथक–पृथक प्रकार के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित तिथियां भिन्न– भिन्न हैं, जिन्हे ध्यान रखकर अंतिम तिथि के पूर्व की गई कार्यवाही ही मान्य होगी ।

4. अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के लिये सत्र 2006–07 में निर्धारित मार्गदर्शी प्रावधानों में शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों एवं जारी किये गये आदेशों के तारतम्य में आवश्यक संशोधन किया गया है । ये संशोधन एवं परिवर्धन नवीन प्रारंभ होने वाले एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों पर लागू रहेगें।

5. सत्र 2007–08 से अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों पर भी चल–अचल सम्पत्ति की शर्त लागू की गई है । अनुदान प्राप्त समस्त अशासकीय महाविद्यालय वर्ष 2006–07 के पूर्व से संचालित है । अतः इन अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र 2006–07 के पूर्व में चल–अचल सम्पत्ति के निर्धारित प्रावधान अनुसार पूर्ति करना आवश्यक है ।

2.आवश्यक शर्ते

नये कॉलेज खोलने की अनुमति उन्हीं संस्थाओं को दी जायेगी, जिन्होने निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कर निर्धारित समय पर आवेदन प्रस्तुत किया है । मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

2.1 पंजीकरण

(1) नया कॉलेज शुरू करने वाली समिति को फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटी, म.प्र. द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोकापी आवेदन पत्र के साथ देना होगी।

(2) चेरिटेबल ट्रस्ट जो कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा पंजीकृत हो, को कॉलेज संचालित करने की पात्रता होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो कॉपी आवेदन–पत्र के साथ देना होगी।

(3) रजिस्टर्ड सोसायटी/ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सूची भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी।

2.2 पाठ्यक्रम

नये प्रारम्भ होने वाले महाविद्यालय को केवल स्नातक स्तर के संकायो की मंजूरी की पात्रता होगी। विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय दिनांक 24.7.2004 के अनुसार नवीन अथवा विद्यमान महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के तीन वर्ष (प्रथम,द्वितीय,तृतीय) पूर्ण होने के पश्चात केवल इन्ही विषयों/संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पात्रता बनेगी।

2.3 भवन

(1) संस्था के पास कालेज का स्वयं का भवन (स्वामित्व में अथवा कम से कम तीस वर्ष की लीज पर) होना आवश्यक है जिसमें शिक्षण हेतु स्थान की पर्याप्त व्यवस्था हो । किराये का भवन होने पर उसमें कमरो की पर्याप्त संख्या तथा अन्य आवश्यक सुविधाये होना चाहिये । भवन का पूर्ण विवरण स्थानीय संस्था द्वारा अनुमत नक्शे के साथ प्रस्तुत करना होगा । भवन संस्था के स्वामित्व में होने संबंधी प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगें । इसमें भवन के स्वामित्व एवं पूर्ण निर्मित होने का संबंधित विभाग में अभिलेखित संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र एवं राजस्व भुगतान संबंधी अभिलेख शामिल है ।

(2) संस्था के पास स्वयं का भवन न होनें अथवा निर्माणाधीन होनें की स्थिति में संस्था के पास उसी नगर में स्वामित्व की तीन एकड़ भूमि अथवा 30 वर्ष की लीज पर होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये जावेंगे ।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किराये का भवन होने पर उसे अधिकतम तीन वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि का रजिस्र्टड किरायानाम प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । इस अवधि के पश्चात स्वयं का भवन निर्माण न करने पर संस्था को दी गई मंजूरी स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

(4) कॉलेज भवन में पर्याप्त सुविधायें होनी चाहिये, जैसे प्राचार्य कक्ष,कार्यालय के कक्ष, प्राध्यापक कक्ष, ग्रंथालय कक्ष, छात्राओं के लिये कक्ष,स्पोर्ट्स/एन सी सी/एन एस एस कक्ष, प्रयोगशालाएं व वर्कशॉप, प्रत्येक संकाय में जितने विषय पढ़ाये जाने हों, उतने व्याख्यान कक्ष तथा खेल मैदान,पर्याप्त फर्नीचर व अन्य आवश्यक सामग्री, पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण, प्रत्येक संकाय में वर्षवार विषयों में प्रत्येक विषय की निर्धारित संख्या में पुस्तकें, टेलीफोन सुविधा, पेयजल, टॉयलेट सुविधाएं व खेल–सामग्री उपलब्ध हो।महाविद्यालय तक छात्र–छात्राओं के आवागमन की पर्याप्तसुविधा हो। कॉलेज परिसर स्वच्छ हो व इसके आसपास कोई बार या नशीले पदार्थों काविक्रय केन्द्र नहीं होना चाहिये । इस विषय में परिनियम 27 के परिशिष्ट एक में दर्शित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित हो ।

(5) कालेज का समस्त शैक्षणिक स्टाफ चाही गई सीट्स की संख्या मे अनुपात में यू.जी.सी. के मापदंडो अनुसार पर्याप्त संख्या में एवं विश्वविद्यालय कालेज कोड–28 के तहत नियुक्त होना चाहिये ।

3.आवेदन शुल्क

(अ) नये कॉलेज हेतु

3.1 नये कॉलेज हेतु आवेदन शुल्क रूपये 1.00लाख होगा जिसे शासकीय कोषालय में चालान से निर्धारित मद में जमा कराना होगा, एंव इसकी मूल प्रति आवेदन पत्र के संलग्न की जावे ।

3.2 यदि संस्था आवेदन करने के पश्चात स्वयं अपना आवेदन वापस लेती है तो जमा शुल्क का 75 प्रतिशत शुल्क वापिसी योग्य होगा तथा एफ डी आर/अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र भी वापसी योग्य होगें । यदि प्रशासकीय कारणवश आवेदन अस्वीकृत होता है, तो 10प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि नियमानुसार वापिस की जावेगी । इसके लिये पृथक से आवेदन दो माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संस्था द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण आवेदन निरस्त होने पर कोई शुल्क वापस नहीं होगा ।

3.2 कालेज प्रारंभ करते समय संस्था को जिन पाठ्यक्रमों की अनुमति दी जाती है उन पाठ्यक्रमों में बाद के वर्षों में अतिरिक्त विषय अथवा निरंतरता निर्धारित शुल्क देना होगा।

3.4 आवेदन अस्वीकृत होने अथवा समिति/संस्था द्वारा आवेदन वापस लेने की स्थिति में जमा विलम्ब शुल्क की राशि वापिसी योग्य नहीं होगी।

3.5 जमा शुल्क की राशि वापिस लेने तथा एफ डी आर /अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र को आयुक्त के लियन से मुक्त कराने एंव संचालित पाठ्यक्रम/महाविद्यालय बंद करने की अनुमति हेतु संस्था को आवेदन आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ महाविद्यालय प्रारंभ न किये जाने के कारण व औचित्य सहित समिति के निर्णय की मूल प्रति संलग्न करना होगी जिस पर पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में सस्था को नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/ महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/ संस्था अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है ।

3.6 संस्था चाहे कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रमों में तीनों वर्ष का शुल्क एकसाथ जमा कर पूरे पाठ्यक्रम की अनुमति हेतु आवेदन कर सकती है । इसके लिये आगामी दो वर्षो के पाठ्यक्रम हेतु शुल्क नीचे उल्लेख अनुसार जमा करना होगा ।

(ब) पहले से संचालित कॉलेज हेतु

1. पहले से संचालित कॉलेज यदि सत्र 2006–07 या उसके बाद के वर्षो में नये विषय/संकाय /कक्षाएं निरंतरता के पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो उनसे निम्न दरों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा –

(अ) स्नातक स्तर पर एक संकाय के चार विषयों के लिये –

प्रथम वर्ष –	रू. 10,000/–
द्वितीय वर्ष –	रू. 10,000/–
तृतीय वर्ष –	रू. 10,000/–
प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये –	रू. 03,000/–

(ब) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय के लिये –

पूर्वार्द्ध –	रू. 10,000/–
उत्तरार्द्ध –	रू 10,000/–

(स) डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए रू. 10,000/–
(एक वर्ष के लिये)

(द) एड–आन कोर्स (यू.जी.सी.द्वारा स्वीकृत) रू. 10,000/–
(सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा)(एक वर्ष के लिये)

(इ) सत्र परिवर्तन हेतु रू. 05,000/–

निरंतर......

2. सभी प्रकार के शुल्क कोषालय में चालान द्वारा जमा किये जाएगें। चालान की एक मूल–प्रति तथा एक सत्यापित फोटो कापी आवेदन पत्र के साथ कार्यालय आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। चालान में चालान हेड, संस्था का नाम तथा कॉलेज में खोली जाने वाली उन कक्षाओं का, जिनका शुल्क जमा किया जा रहा हो, पूरा विवरण अंकित होना चाहिए।

<u>चालान हेड निम्नानुसार होगा</u> :–

0202 शिक्षा/खेल/कला एवं संस्कृति

01 सामान्य शिक्षा

103 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा/अन्य शुल्क /सम्बद्धता शुल्क

(स) अन्य विभागों से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन शुल्कः–

1. अन्य विभागों (चिकित्सा विभाग, पैरामेडिकल कौसिंल, एन.सी.टी.ई. एवं बार कौंसिल आफ इण्डिया आदि) से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार आवेदन शुल्क संस्था को जमा करना होगाः–

नवीन अथवा निरंतरता हेतु प्रति पाठ्यक्रम रू. 15,000/–

(इसमें उक्त विभागों से संबंधित पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स भी शामिल है)

2. यह शुल्क निम्नानुसार जमा किया जाना होगा :–

रूपये 12,000/– चालान द्वारा विभागीय मद में

रूपये 03,000/– विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा

3. सत्र परिवर्तन हेतु शुल्क प्रति पाठ्यक्रम बिन्दु(ब)–1(इ) के अनुसार जमा करना होगा ।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संस्था का पूर्व का कोई भी जमा शुल्क का समायोजन मान्य नहीं होगा । आवेदित पाठ्यक्रम के लिये पूरा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा । गत सत्र/वर्षो की यदि कोई राशि संस्था द्वारा अधिक जमा या वापिसी योग्य है तो पृथक से विधिवत प्रक्रियानुसार संस्था शुल्क वापिसी के लिये आवेदन कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करें।

4. चल संपत्ति

(1) संस्था के नाम चल सम्पत्ति की सीमा निम्नानुसार होगी–

’	नगर निगम क्षेत्रों के लिये	रू. 10.00 लाख
’	नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये	रू. 05.00 लाख
’	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	रू. 03.00 लाख

संस्था द्वारा चल सम्पत्ति के रूप निर्धारित राशि की एफ. डी. आर. अथवा शासन की अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत पोस्ट आफिस की सावधि जमा योजना में निवेश कर उसके प्रमाण– पत्र (सर्टिफिकेट)की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर जमा करना होगी, जो संस्था की चल संपत्ति रहेगी । एफ डी आर किसी भी शेड्यूल्ड् बैंक (Scheduled Bank) /शासन की अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र, संस्था तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के संयुक्त नाम से कम से कम पांच वर्ष के लिये बनाया जाना होगा। एफ.डी.आर./अल्प बचत योजना प्रमाण पत्र की परिपक्वता(मैच्योरिटी) की तारीख समाप्त होनें पर तुरंत नया एफ. डी.आर./अल्प बचत योजना प्रमाणपत्र देने की जवाबदेही स्वयं संस्था/महाविद्यालय की होगी । चल सम्पत्ति में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जावेगी ।

(2) उपरोक्तानुसार चल सम्पत्ति की शर्त सत्र 2006–07 एवं उसके बाद प्रारंभ होने वाले नवीन अशासकीय महाविद्यालयों पर लागू रहेगी । वर्ष 2006–07 के पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय महाविद्यालयों पर चल सम्पत्ति की शर्त पूर्व प्रावधान के अनुसार (रूपये तीन लाख की निर्धारित राशि की एफ.डी.आर. अथवा शासन की अल्प बचत योजना प्रमाणपत्र) लागू रहेगी । यदि पूर्व संचालित महाविद्यालय नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करते हैं तो उन्हें उक्त नवीन प्रावधान अनुसार चल सम्पत्ति की पूर्ति करना आवश्यक होगी ।

(3) सत्र 2006–07 से या बाद के वर्षो में प्रारंभ होने वाले अन्य विभागो (एनसीटीई,बार कौंसिल आफ इंडिया,चिकित्सा शिक्षा,पैरामेडिकल कौंसिल) से संबंधित पाठ्यक्रमों संबंधी महाविद्यालयों को उपरोक्तानुसार चल सम्पत्ति की पूर्ति में शेड्यूल्ड् बैंक (Scheduled Bank) की एफ.डी.आर अथवा पोस्ट आफिस का अल्पबचत योजना प्रमाणपत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है जो समिति एवं आयुक्त,उच्च शिक्षा के संयुक्त नाम से कम से कम 5 वर्ष की अवधि की हो , जिसकी राशि की सीमा निम्नानुसार हैः–

’	नगर निगम क्षेत्रों के लिये	रू. 05.00 लाख
’	नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये	रू. 03.00 लाख
’	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	रू. 01.00 लाख

(4) आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों के लिये चल सम्पत्ति में अधिकतक तीन वर्ष के लिये अस्थायी छूट दी गई है । इसका विस्तृत विवरण ‘‘बिन्दु–13.आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में चल–अचल सम्पत्ति में छूट’’ शीर्षक में दिया गया है ।

5.अचल सम्पत्ति

(1) नए कॉलेज की स्थापना के लिए अचल–संपत्ति, भवन या भूमि के रूप में संस्था के नाम उसी स्थान (शहर/नगर/कस्बा/गांव) पर होना अनिवार्य है, जहॉ कॉलेज शुरू किया जाना है।

(2) नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रथम बार निम्नानुसार राशि का कलेक्टर द्वारा जारी साल्वेंसी प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा–

'	नगर निगम क्षेत्रों के लिये	रू. 15.00 लाख
'	नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये	रू. 10.00 लाख
'	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	रू. 07.00 लाख

ऊपर दिये अनुसार अचल–संपत्ति के सालवेंसी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी वैधता की तारीख आवेदन– पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व समाप्त न हो गई हो। व्यक्तिगत नाम पर अचल–संपत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(2) एक ही समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर संचालित कॉलेजों के लिये अलग–अलग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो उन स्थानों पर संस्था के नाम निर्धारित सीमा की अचल–संपत्ति हेतु प्रदान किये गये हों। एक ही स्थान पर एक ही समिति द्वारा एक से अधिक महाविद्यालय संचालन करने की स्थिति में प्रत्येक महाविद्यालय के लिये चल–अचल सम्पत्ति की निर्धारित सीमा की शर्त पूर्ण करना आवश्यक होगा, व अलग–अलग अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा ।

(3) आगामी वर्षो में उक्त साल्वेंसी प्रमाणपत्र से संबंधित अचल सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी राजस्व अभिलेख– रजिस्ट्री, खसरा,खतौनी,फार्म–बी आदि प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगें अन्यथा अनुमति निरस्त की जा सकेगी ।

(4) यह आवश्यक है कि समिति के स्वामित्व की ही निर्धारित मूल्य की अचल संम्पत्ति हो। व्यक्तिगत लीज् पर प्राप्त की गई अथवा व्यक्ति विशेष अथवा निजी/अशासकीय संस्था/सोसायटी से लीज पर प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति मान्य नहीं होगी। समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य के व्यक्तिगत नाम पर धारित सम्पत्ति समिति के लिये मान्य नहीं होगी। अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री व अन्य संबंधित राजस्व दस्तावेजों (खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1) की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा। दान में प्राप्त अचल सम्पत्ति का रजिस्टर्ड दान पत्र एंव राजस्व अभिलेखों में संबंधित अचल सम्पत्ति के समिति के नाम पर नामांतरण संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । **अचल सम्पत्ति की** लीज की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना संस्था की जवाबदेही होगी अन्यथा सम्पत्ति संस्था के नाम मान्य नहीं होगी ।

(5) संस्था को अचल सम्पत्ति के समिति के नाम से क्रय–विक्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 21 के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,मध्यप्रदेश,भोपाल की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगी ।

(4) आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों के लिये अचल सम्पत्ति में अधिकतम तीन वर्ष के लिये अस्थायी छूट दी गई है । इसका विस्तृत विवरण ''बिन्दु–13.आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में चल–अचल सम्पत्ति में छूट''शीर्षक में दिया गया है।

अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हेतु चल–अचल सम्पत्ति के प्रावधान :–

अशासकीय महाविद्यालय संबंधी चल–अचल सम्पत्ति संबंधी एवं अन्य समस्त प्रावधान अनुदान प्राप्त अशाासकीय महाविद्यालयों पर भी लागू रहेगें । तदानुसार अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को पूर्ति करना आवश्यक है ।

6. अनुमति हेतु पात्र संकाय/पाठ्यक्रम व आवेदन की विधि

(अ) पाठ्यक्रम जिनकी अनुमति कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी जावेगी का विवरण निम्नानुसार है :–

सं.क्र.	**संकाय**	**पाठ्यक्रम**
1.	कला संकाय	बी.ए.,एम.ए
2.	विज्ञान संकाय	बी.एससी., एम.एससी
3.	वाणिज्य संकाय	बी.काम,एम.काम.
4.	एड–आन कोर्सेस	सर्टीफिकेट,डिप्लोमा,एडवांस डिप्लोमा (यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत)
5.	समस्त सर्टीफिकेट/डिप्लोमा कोर्सेस	–
6.	आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा जिन महाविद्यालयों को पूर्व में होम्योपेथी, आयुर्वेदिक,पैरामेडिकल अथवा विधि पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है उन पाठ्यक्रमो की निरंतरता वाली कक्षाओं की अनुमति/अनापत्ति ।	बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. बी.पी.टी. एल.एल.बी.एंव बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.एम. आदि
7.	मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित आर्डिनेन्स के आधार पर अशासकीय महाविद्यालयों को मान्य पाठ्यक्रम	जो पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लेखित नहीं है ।

(1) उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करना होगा ।

(2) संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव या उनके अधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि आवेदित पाठ्यक्रम अशासकीय महाविद्यालय में संचालित करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है । विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय दिनांक 24.7.2004 के अनुसार विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में मात्र पढाने हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम अशासकीय महाविद्यालय में अनुमति/सम्बद्धता हेतु मान्य नहीं है, यह देखकर कृपया आवेदन करें ।

(ब) अन्य विभाग से संबंधित पाठ्यक्रम जिनकी अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी जावेगी :—

स.क्र.	मूल विभाग का नाम	पाठ्यक्रम
1	चिकित्सा विभाग	होम्योपेथी,आयुर्वेदिक,यूनानी, डेंटल एंव शरीर विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, बी.एससी.नर्सिंग सामान्य, बी.एससी. पोस्ट बेसिक नर्सिंग
2	पैरामेडिकल कौंसिल	पैरामेडिकल से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम
3.	एन.सी.टी.ई.	बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड.
4.	बार कौंसिल आफ इण्डिया	एल.एल.बी., एल.एल.एम., बी.ए.एल.एल.बी(आनर्स)
5.	मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित आर्डिनेन्स के आधार पर अशासकीय महाविद्यालयों को मान्य पाठ्यक्रम	जो पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लेखित नहीं है ।

इन पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करना होगा । उक्त किसी भी पाठ्य—क्रम हेतु आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में निर्णय आयुक्त, उच्च शिक्षा के अधीन होगा ।

7. कालेज में शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियॉ

1. (अ)– कालेज में सत्र की कक्षाऐं प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, भर्ती नियम, 1979 तथा संशोधित भर्ती नियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कालेज–कोड परिनियम–28 के अंतर्गत लागू स्थिति के अनुसार योग्यताओं के अनुसार की जानी होगी ।

   (ब)– प्राचार्य की पूर्ण–कालिक नियुक्ति हो ।

   (स)– स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक सेक्शन के लिये कम से कम एक सहायक प्राध्यापक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक कक्षा/विषय के लिये एक अतिरिक्त प्राध्यापक हो । खेलकूद गतिविधियों के लिये क्रीड़ाअधिकारी नियुक्त हो ।

   (द)– अशैक्षणिक स्टाफ के अंतर्गत लायब्रेरियन, मुख्यलिपिक, लेखापाल, न्यूनतम दो निम्न श्रेणी लिपिक, प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये कम से एक–एक प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, सफाई कर्मचारी व चौकीदार की नियुक्ति हो ।

2. विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन में प्रवेश हेतु छात्र संख्या यू.जी.सी. के मापदंडों के अनुसार अथवा पाठ्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय परिषद् के मापदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित की जाएगी । आवेदन के समय आवेदित पाठ्यक्रम में कितने सेक्शन व प्रत्येक में अधिकतम प्रवेश योग्य छात्र संख्या मापदण्डानुसार दर्शा कर आवेदन करना होगा । इस अनुसार ही अधोसंरचना – सुविधाओं की पर्याप्तता का निरीक्षण करवाया जावेगा ।

8.आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया एवं अंतिम तिथियां
(विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार)

1. **सत्र 2007-08 एवं आगामी वर्षो हेतु कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :-**

(अ) वाणिज्य/कला/विज्ञान ,अन्य सामान्य पाठ्यक्रम एवं बार कौंसिल आफ इण्डिया से संबंधित विधि पाठ्यक्रम बावत

(1)	नये महाविद्यालय/नये विषय प्रारंभ करने एवं द्वितीय/तृतीय वर्ष/स्नातकोत्तर के उत्तरार्द्ध की कक्षाओं हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**31 दिसम्बर**
(2)	मंजूरी प्रदान करने/आवेदन अमान्य करने की अंतिम तिथि	**28 फरवरी**
(3)	राज्य शासन को अपील करने की अंतिम तिथि	**31 मार्च**

(ब) एन.सी.टी.ई से संबंधित पाठ्यक्रम

(1)	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**10 अप्रेल**
(2)	मंजूरी प्रदान करने/आवेदन अमान्य करने की अंतिम तिथि	**10 मई**

(स) पैरामेडिकल/नर्सिंग/डेन्टल/चिकित्सा पाठ्यक्रम

(1)	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**15 जून**
(2)	मंजूरी प्रदान करने/आवेदन अमान्य करने की अंतिम तिथि	**21 जुलाई**

2. आवेदन के साथ पूर्व के सत्रों में निरंतरता की आवेदित कक्षाओं के प्रथम/द्वितीय वर्ष की आयुक्त,उच्च शिक्षा/शासन द्वारा दी गई अनुमति संबंधी प्रमाण-पत्र तथा विश्वविद्यालय के सम्बद्धता प्रमाण- पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित अंतिम तिथियों के पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य योग्य नही होगें।

3. नये महाविद्यालय एंव विद्यमान महाविद्यालय में नये विषय प्रारंभ करने अथवा द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षायें प्रांरभ करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा में समस्त आवश्यक पूर्तियों सहित प्राप्त आवेदन ही विचार योग्य होंगे एवं तभी निरीक्षण समिति का गठन होगा । आवेदन में कमियां होने पर पूर्तियां करने हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाकर आवेदन प्रारंभिक तौर पर ही अस्वीकृत किया जावेगा। अतः आवेदन एक बार में ही पूर्ण सावधानी से भरा जावे ।

4. पूर्ण आवेदन अंतिम तिथि तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। डाक के विलंब हेतु विभाग उत्तरदायी नही होगा ।

9.निरीक्षण और उसके बाद अनुमति देने की प्रक्रिया

(अ) नये कालेज / नये विषय प्रारंभ करने /निरंतरता हेतु

आवेदन पत्र तथा चाही गई पूर्तियों की जांच के बाद सभी पूर्तियां होने पर आयुक्त/संचालक,उच्च शिक्षा के स्तर पर नवीन महाविद्यालय अथवा नवीन पाठ्यक्रम/विषय हेतु निरीक्षण समिति गठित की जावेगी । समिति द्वारा संस्था में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं, व्यवस्थाओ व अधोसंरचना का निरीक्षण किया जावेगा एवं आवेदन की जानकारी का सत्यापन किया जावेगा । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुमति के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर योग्य निर्णय लिया जावेगा । विश्वविद्यालय परिनियम–27 के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र रूप से विचार कर पृथक से निरीक्षण करा सकता है । अधोसंरचना की वीडियोग्राफी भी संस्था के व्यय पर कराकर सी0डी0 तैयार की जावेगी ।

(ब) पाठ्यक्रमों की अनुमति का सत्र परिवर्तन

आयुक्त,उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त पाठ्यक्रमों की सत्र परिवर्तन हेतु संबंधित संस्था को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सत्र परिवर्तन केवल प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध के पाठ्यक्रमों हेतु ही मान्य होगा । निरंतरता वाले पाठ्यक्रमों की मंजूरी का सत्र परिवर्तन मान्य योग्य नहीं होगा ।

(स) महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन करने बावत :–

किसी भी स्थिति में संचालित महाविद्यालय का अन्य शहर अथवा अन्य जिले में स्थानांतरण मान्य नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में नवीन स्थान हेतु पृथक से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(द) महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने बावत

महाविद्यालय के नाम परिवर्तन करने के संबंध में समिति के निर्णय की मूल प्रति जिस पर पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो, संलग्न करते हुये आवेदन आयुक्त/संचालक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ इस बावत निर्धारित शुल्क राशि रूपये 10,000/– चालान द्वारा निर्धारित मद(3.आवेदन शुल्क एंव चल सम्पत्ति के बिन्दु–(ब) 2. अनुसार) में जमा कर चालान की मूल प्रति भी आवेदन के संलग्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगी । यह शुल्क समय–समय पर परिवर्तनीय है । इस बारे में आयुक्त,उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

(इ) इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग न करने बावत

भारत सरकार,उपभोक्ता मामलें,नईदिल्ली के पत्र क्रमांक–डी0ओ0न0–23/24/2005–आई0टी0, दिनांक 7/3/06 एवं मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 19/40/2006/1/4, दिनांक 10.4.06 द्वारा अशासकीय संस्थाओं के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अतः संस्था/महाविद्यालय के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का प्रयोग नहीं किया जावे । ऐसे नामों वाले आवेदन मान्य योग्य नहीं होगें । इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी ।

10.मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद की प्रक्रिया–प्रावधान

1. आयुक्त / संचालक, उच्च शिक्षा का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संस्था को संबंद्धता हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा । विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों को प्रवेश दिये जाने की पात्रता होगी । छात्रों को प्रवेश विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित तारीख तक ही दिये जा सकेगें ।

2. समय समय पर कालेज का निरीक्षण करने का अधिकार आयुक्त / संचालक, / अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा व उनके नामांकित अधिकारियों को होगा । किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर या अनुमति की शर्तो का भंग पाये जाने पर दी गई मंजूरी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी । यदि महाविद्यालय संचालन में अनियमितता पाई जाने पर जारी मंजूरी समाप्त की जाती है तो जमा चल सम्पत्ति की राशि शासन के पक्ष में दण्डस्वरूप राजसात की जावेगी।

3. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूरी अनुमतियां प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई संस्था प्रवेश देती है तो उसकी मान्यता निरस्त कर चल सम्पत्ति के रूप में जमा प्रतिभूति राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

11. आवेदन अस्वीकृत किये जाने की सूचना व असंतुष्टि पर अभ्यावेदन/अपील व्यवस्था

आवेदन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार न पाये जाने पर अस्वीकृत किये जायेगें। इसकी सूचना पंजीकृत डाक से कार्यालय द्वारा आवेदक को उनके दर्शाये पते पर दी जावेगी । आवेदक अगर इससे असंतुष्ट होगा तो वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के अंदर मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय में प्रमुख सचिव के नाम पर तथ्यात्मक अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकेगा । इन अभ्यावेदनों/अपील पर उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा जो अंतिम रूप से मान्य व बंधनकारी होगा । इस हेतु रूपये एक हजार अभ्यावेदन/अपील शुल्क विभागीय मद में चालान द्वारा जमा कर आवेदन के साथ मूल चालान रसीद प्रति संलग्न करना होगी । संस्था का दायित्व होगा कि आवेदन के निराकरण को अंतिम तिथि के तीन दिन के अंदर अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर पत्र प्राप्त कर लें, अन्यथा अपील में विलंब के लिये यह कारण मान्य नहीं होगा ।

12. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं व्दारा नये कालेजों का खोला जाना

1. राज्य शासन की यह नीति है कि नये कालेज खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन देते समय मजबूत हो । नये कालेज की स्थापना के विरूद्ध अन्य शर्तो के साथ अचल सम्पत्ति बाबत् यह शर्त है कि निर्धारित मूल्य की चल सम्पत्ति भवन या भूमि के रूप में समिति के नाम उसी स्थान पर होना आवश्यक है जहॉ कालेज शुरू किया जाना है ।

2. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था व्दारा नये कालेज खोलने के लिये उन्हें उपर्युक्त उल्लेखित अचल सम्पत्ति की अनिवार्यता में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी । इस छूट के लिये निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क रूपये 2,500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ) के साथ आवेदन देना होगा । आवेदन का फार्म विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध है ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का आशय यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि राज्य शासन अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को अद्योसंरचना विहीन कालेज में पढ़ने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है । इसलिये यह भी निर्णय लिया गया है कि यह छूट केवल दो साल के लिये ही रहेगी । छूट की अवधि के दौरान नये विषय नहीं खोले जायेगें और दो साल के अंदर अगर कालेज के लिये पर्याप्त अचल सम्पत्ति जुटाने में संस्था असमर्थ रहती है तो आयुक्त, उच्च शिक्षा व्दारा दी गई मंजूरी समाप्त हो जाएगी।

4. इस प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

   (1) संस्था के सभी पदाधिकारी/कार्यकारी समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक / भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होगें । अगर इसमें कोई अपवाद होता है तो वहसंस्था अल्पसंख्यक समुदाय व्दारा शासित नहीं मानी जायेगी ।

   (2) शैक्षणिक संस्था स्वयं यह निर्धारित करेगी कि विद्यार्थियों के प्रवेश में कितना प्रतिशत हिस्सा संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का होगा। संबंधित प्रबंधन के लिये यह जरूरी होगा कि वे उस प्रतिशत हिस्से के अंदर केवल उस समुदाय के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दें । अन्य को प्रवेश देने की स्थिति में संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं माना जायेगा ।

5. अगर कोई संस्था इन शर्तो को पूरा करती है तो वह संभाग (जहॉ कालेज स्थापित है /किया जाना है) के कमिश्नर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे अचल सम्पत्ति की अनिवार्यता से छूट के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगी ।

13.आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में चल–अचल सम्पत्ति में छूट :–

1. राज्य शासन की यह नीति है कि नये कालेज खोलने की मंजूरी उन संस्थाओं को दी जावेगी जिनकी वित्तीय स्थिति आवेदन देते समय मजबूत हो । नये कालेज की स्थापना संबंधी अन्य शर्तो के साथ चल सम्पत्ति बावत यह शर्त है कि निर्धारित राशि की समिति एवं आयुक्त,उच्च शिक्षा के नाम संयुक्त एफ.डी.आर. एवं अचल सम्पत्ति बावत यह शर्त है कि निर्धारित मूल्य की अचल सम्पत्ति भवन या भूमि के रूप में समिति के नाम उसी स्थान पर होना आवश्यक है जहां कालेज शुरू किया जाना है ।

2. राज्य शासन ने संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करने एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न क्षेत्रों में उक्त चल– अचल सम्पत्ति संस्था के नाम धारित करने की शर्तो में अधिकतम 3 वर्ष की अस्थायी छूट देने का निर्णय लिया हैः–
   - (क) समस्त आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र
   - (ख) ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति की आबादी 20 प्रतिशत या इससे अधिक है ।
   - (ग) ऐसे क्षेत्र जहां 10 किमी की परिधि में शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय स्थित नहीं है ।

3. उक्त उल्लेखित क्षेत्रों में चल–अचल सम्पत्ति की शर्त से अधिकतम 3 वर्ष की अस्थायी छूट निम्न शर्तो पर दी जावेगी :–
   - (क) उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्था द्वारा आवेदन पत्र विभाग के मार्गदर्शी प्रावधानों में बताये अनुसार पूर्ण अभिलेखों के साथ, नियत तिथि के अंदर विभाग में प्राप्त होगें ।
   - (ख) यह छूट केवल एक बार ही अशासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्था प्रारंभ करने हेतु 3 वर्ष के लिये अस्थायी रूप से दी जावेगी ।
   - (ग) यदि निजी महाविद्यालय उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित हो,परन्तु उस महाविद्यालय में प्रचलित संकायों के अतिरिक्त कोई नये संकाय /विषय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो इसके लिये भी यह छूट मान्य रहेगी । 3 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय जारी रखने की अनुमति चल–अचल की शर्त पूर्ति के अभाव में स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी। अर्थात यदि संस्था चल–अचल सम्पत्ति के प्रावधानों की पूर्ति कर देती है तो अनुमति जारी रखने की कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के नियम/निर्देशानुसार की जावेगी ।
   - (घ) 3 वर्ष की समय सीमा में वृद्धि किसी भी स्थिति में नहीं जावेगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक,कर्मचारी,लायब्रेरी और इक्यूपमेंट इत्यादि में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी । निजी संस्थाओं को उक्त क्षेत्रों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तत्संबंधी संस्थाओं के अधिकृत अधिकारी/संस्था का इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित स्थल उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।

नया महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन–सत्र....................

आवेदन दिनांक...
आवेदन शुल्क राशि..
चालान/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक.......................................
बैंक/पोस्ट आफिस का नाम व स्थान....................................

1. पंजीकृत समिति/ट्रस्ट का नाम ....
(अध्यक्ष के नाम व पूर्ण पते सहित एवं
पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति एवं बायलाज की प्रति संलग्न करें)

2. प्रस्तावित कॉलेज का नाम व पूर्ण पता ....
(इंडियन एवं नेशनल शब्द प्रयुक्त न हो) ....

3. पत्र व्यवहार हेतु समिति का पूर्ण पता ....
....
ई–मेल पता ....

4. पंजीकृत समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं ....
अन्य सदस्यों के नामों की सूची
(सभी के हस्ताक्षर सहित)

5. समिति द्वारा किये गये कार्यों/गतिविधियों ....
का विवरण संलग्न करें पंजीयन अनुसार
(आय/व्यय के प्रमाणित अंकेक्षित विवरण सहित)

6. स्थान जहाँ कॉलेज स्थापित किया जाना है ....

   1. स्थान / नगर। ....
   2. तहसील ....
   3. जिला ....

7. जिस स्थान पर कॉलेज प्रारंभ किया जाना है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत है (सही का निशान लगाये)

   1. नगर निगम ....
   2. नगर पालिका/नगर पंचायत ....
   3. ग्रामीण क्षेत्र ....

8. जिस स्थान पर कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है वहां 10 किलोमीटर की परिधि में समान पाठ्यक्रम का क्या अन्य कॉलेज संचालित है – हॉ/ना

9. यदि हॉ तो विवरण दें :–

कॉलेज का नाम	प्रस्तावित कॉलेज से दूरी	पढ़ाये जाने वाले विषयों/संकायों के नाम	छात्र संख्या
....	....	....	....
....	....	....	....

10 प्रस्तावित कॉलेज में आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रम(वांछित सीट संख्या सहित) –
(विश्व विद्यालय के आर्डिनेंस की प्रति संलग्न करें)

स. क्र .	संकाय का नाम	आवेदित विषय	स्तर–स्नातक / स्नातकोत्तर
....	....	....	....
....	....	....	....

(आवेदित पाठ्यक्रम अशासकीय महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित है इसकी पुष्टि में वचन पत्र दें। अन्य विभागों से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु संबंधित विभाग,परिषद की अनुमति भी संलग्न करे)

11. भवन संबंधी विवरण : कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :

1. क्या समिति के पास स्वयं का भवन कालेज हेतु उपलब्ध है ? यदि हां तो भवन परिसर का पूर्ण विवरण दें :–
   (अ) स्थान ....
   (ब) भूमि का क्षेत्रफल ....
   (स) निर्मित क्षेत्रफल ....
   (द) संस्था का स्वामित्व प्रमाण ....
   (इ) कालेज भवन का स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित नक्शा संलग्न करें ....

2. यदि नहीं तो क्या समिति के पास स्वयं की भूमि कालेज के लिये उपलब्ध है? विवरण दें (क्षेत्रफल सहित। उस पर भवन कब तक निर्मित कर लिया जाएगा? साथ ही भूमि के स्वत्व प्रमाण जैसे–खसरा,खतौनी,फार्म–बी की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आदि) ....

3. अचल सम्पत्ति क्रय करने संबंधी रजिस्ट्रार,फर्म एवं संस्थाएं,म.प्र.,भोपाल से स्वीकृति प्राप्त की गई है ,? प्रति संलग्न करें । ....

4. यदि किराये का भवन है तो विवरण दें तथा तीन वर्ष का किरायानामा संलग्न करें...

5. क्या कालेज भवन पूर्णकालिक रुप से उपलब्ध है अथवा अन्य संस्था के साथ अंशकालीन व्यवस्था है?..

6. यदि कालेज की भूमि या भवन शासकीय लीज पर प्राप्त किया गया हो तो विवरण दें...
   (लीज डीड की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. भवन संबंधी अन्य जानकारी :

1. कुल कक्षों की संख्या..
   (प्रत्येक के क्षेत्रफल सहित)
2. व्याख्यान कक्षों की संख्या(प्रत्येक के क्षेत्रफल सहित)..
3. प्रयोगशाला कक्षों की संख्या(प्रत्येक के क्षेत्रफल सहित)......................................
4. ग्रंथालय / वाचनालय हेतु कक्षों की संख्या ....
   (प्रत्येक के क्षैत्रफल सहित)
5. अन्य कक्षों का विवरण ....
   (प्रत्येक के क्षैत्रफल सहित) ....
6. खेल मैदान का विवरण ....
7. किन खेलों की सुविधाएं उपलब्ध है ....

13. अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

1. ग्रंथालय में उपलब्ध विषयवार प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकों / पत्रिकाओं की संख्या(सूची संलग्न करें) ....
2. विषयवार प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरण व सामग्री की सूची.................................
3. फर्नीचर की पर्याप्तता ....
4. पीने के पानी की व्यवस्था ....
5. टायलेट सुविधा (पुरूष एवं महिला प्रसाधन ....
6. दूरभाष कमांक व मोबाइल फोन नम्बर ....
7. फैक्स / ई–मेल सुविधा ....
8. अन्य सुविधाएं ....

नोटः– प्रत्येक आयटम के पक्के देयक (संस्था के नाम) की प्रति लगावें ।

14. संस्था द्वारा आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों से लिया जाने वाला प्रस्तावित शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण (पाठ्यक्रमवार–वर्षवार स्पष्ट करें) ....

स.क	पाठ्यक्रम	वर्ष			शुल्क रूपये		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय

15. शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ संबंधी विवरण :

निम्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम, नियुक्ति दिनांक, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व वेतनमान संबंधी जानकारी संलग्न करें–

1. प्राचार्य ....
2. प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / कीडा अधिकारी ....
3. अशैक्षणिक स्टाफ ....

(नियुक्ति पत्र की प्रति लगावें)

16. चल सम्पत्ति की पूर्ति संबंधी विवरण :

1. समिति व आयुक्त उच्च शिक्षा के संयुक्त नाम से जारी एफ डी आर की राशि या अल्प बचत योजना के अन्तर्गत पोस्ट आफिस की सावधि जमा योजना के सर्टिफिकेट की प्रति लगावें । कमांक दिनांक .... राशि.................... ....
2. जारी दिनांक ....
3. परिपक्वता दिनांक ....
4. बैंक / पोस्ट आफिस का नाम व स्थान ....

17. अचल सम्पत्ति की पूर्ति संबंधी विवरण :

कलेक्टर द्वारा प्रदत्त समिति के नाम अचल सम्पत्ति .... रूपये................का साल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न करें

(स्थिति अनुसार विवरणदे)

18. निधियाँ तथा संस्था को चलाने हेतु संसाधनों की जानकारी :

1. वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध निधियाँ ....
2. उपलब्ध एनडोमेंट फण्ड तथा अचल सम्पत्ति ....
3. अगले तीन वर्षों तक की संभावित आय ....
4. दान ....
5. शुल्क ....
6. अन्य (विस्तृत उल्लेख) ....

नोटः– जमा राशि के समर्थन में दस्तावेज (पासबुक आदि)

प्रथम तीन वर्षो (प्रत्येक वर्ष के लिए) के लिए आवश्यक विस्तृत विवरण सहित

* वेतन एवं भत्ते ....
*आवर्ती आकस्मिक निधि (राशि) ....
*अनावर्ती आकस्मिक निधि (राशि) ....
प्रत्येक की पूर्ण जानकारी दें।

19. अन्य कोई जानकारी जो आवेदक, अपने आवेदन के पक्ष में देना चाहें।......................................
....

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई जानकारी सही है और वर्तमान में संस्था की संचालन व आर्थिक स्थिति मजबूत है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं। पूरी अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा ।

....
....

स्थान :
:

अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा तारीख तथा पूर्ण पता

नोटः– आवेदन पत्र भेजने का पता –
कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,(शाखा–13,सम्बद्धता)
पांचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन,भोपाल (म.प्र.)
पिन कोड–462004

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

पावती रसीद

संस्था...से नवीन अशासकीय.............. ....महाविद्यालय............................ प्रारंभ करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक........................... प्राप्त हुआ, जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न प्राप्त हुयेः–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

दिनांकः–
स्थानः–

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता का नाम
कार्यालय मुद्रा एवं तिथि सहित

विद्यमान कॉलेज मे नये संकाय/विषय/एवं निरंतरता की कक्षा के लिये आवेदन सत्र..........................

आवेदन दिनांक..
आवेदन शुल्क राशि..
चालान/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक.................................
बैंक/पोस्ट आफिस का नाम व स्थान..............................

1. पंजीकृत समिति का नाम व पूर्ण पता ....
(अध्यक्ष के नाम व पूर्ण पते तथा दूरभाष ....
/मोबाइल क्रमांक सहित) ....

2. कॉलेज का नाम/स्थान व पूर्ण पता ....
....
तथा दूरभाष/मोबाइल क्रमांक ....

3. अनुदान प्राप्त अथवा अनुदान अप्राप्त ....

4. आवेदित संकाय/पाठ्यक्रम/विषय ....
(वि.वि. के आर्डिनेंस की प्रति संलग्न करें)..
(वांछित सीट संख्या सहित) ....

5. कालेज में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण ....

6. कक्षावार छात्र संख्या ....
(कालेज की समय सारिणी संलग्न करें)

7. पूर्व वर्ष में आयुक्त,उच्च शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग ....
द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्रों की जानकारी ....
(पाठ्यक्रम/वर्ष/विषय) ....
(छायाप्रति संलग्न करें)

8. अन्य विभागों से संबंधित पाठ्यक्रम हेतु संबंधित ....
विभाग,परिषद की अनुमति की प्रति

9. पूर्व वर्ष में जारी विश्वविद्यालय के सम्बद्धता प्रमाण–पत्रों ....
का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)

10. चल सम्पत्ति की पूर्ति संबंधी विवरण :
    1. समिति व आयुक्त उच्च शिक्षा के संयुक्त नाम से जारी एफ डी आर की राशि या अल्प बचत योजना के अन्तर्गत पोस्ट आफिस द्वारा जारी प्रमाण –पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें ....
    2. जारी दिनांक ....
    3. परिपक्वता दिनांक ....
    4. बैंक/पोस्ट आफिस का नाम व स्थान ....

11. अचल सम्पत्ति की पूर्ति संबंधी विवरणः

1. अचल सम्पत्ति का स्थान व स्वरूप (भूमि/भवन तथा ....
क्षेत्रफल,रकबा एवं पूर्ण विवरण)
(नामांतरण संबंधी दस्तावेजो जैसे–रजिस्ट्री,खसरा,खतौनी,फार्म–बी एवं स्वामित्व के दस्तावेज आदि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

12. पूर्व सत्र में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों का ....
विवरण। क्या कमियों की पूर्ति की गई ? सशर्त अनुमति ....
की पूर्ति का विवरण दें ।

13. भवन स्वयं का अथवा किराये का ....
(अभिप्रमाणित नक्शा/किराया नामा संलग्न करें)

14. कॉलेज में कक्षों की कुल संख्या ....
(प्रत्येक के क्षेत्रफल सहित)

15. व्याख्यान कक्षों की संख्या एंव क्षैत्रफल ....

16. विषयवार प्रयोगशाला कक्षों की संख्या ....

17. क्या आवेदित पाठ्यक्रम अनुसार प्रायोगिक उपकरण/ ....
सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ?

18. क्या शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ पर्याप्त संख्या में नियुक्त है?..
(नियुक्त व्यक्तियों के नाम, नियुक्ति दिनांक, आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व वेतनमान संबंधी जानकारी संलग्न करें और प्रमाणित करे कि उक्त स्टाफ अन्यत्र भी कार्यरत नही है)

19. क्या कॉलेज कोड अनुसार नियुक्तियां हैं? ....

20. पुस्तकालय में आवेदित पाठ्यक्रम व अन्य संचालित कक्षाओं की ....
विषयवार प्रत्येक वर्ष के पाठ्यकमानुसार पुस्तकों तथा
पत्रिकाओं की संख्या

21. क्या खेल मैदान उपलब्ध है ? ....
व क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त है ? ....

22. कक्षावार एवं वर्षवार छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क का विवरण ....

23. आय–व्यय लेखों का विवरण ....

1. वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध निधियां ....
2. कुल चल व अचल सम्पत्ति का विवरण ....
3. अगले तीन वर्षों तक संभावित आय ....
4. आवर्ती/अनावर्ती आकस्मिक निधि ....
5. विगत वर्ष में संस्था की आय ....

(प्रमाणित अभिलेख तथा वेतन व अन्य व्यय का विवरण संलग्न करें)

24. अन्य कोई विवरण . ...

....

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूॅ कि उपर दी गई जानकारी सही है और वर्तमान में संस्था की संचालन व आर्थिक स्थिति मजबूत है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य प्रस्तुत किये गये हैं। पूरी अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा ।

स्थान : ....

....

दिनांक :

प्राचार्य / अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम व पदमुद्रा
सहित पूर्ण पता

नोटः– आवेदन पत्र भेजने का पता –
कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,(शाखा–13,सम्बद्धता)
पांचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन,भोपाल (म.प्र.)
पिन कोड–462004

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

पावती रसीद

संस्था...से संचालित अशासकीय......... ....महाविद्यालय.............................में नवीन / निरतंरता पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक........................... प्राप्त हुआ, जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न प्राप्त हुयेः–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

दिनांकः–
स्थानः–

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता का नाम
कार्यालय मुद्रा एवं तिथि सहित

चेक लिस्ट

। आवेदन पत्र भेजे जाने से पूर्व चेक कर हस्ताक्षर अंकित करें ।

		हां	नहीं
1	संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क रु. .... का चालान क्रमांक.......................दि0................. की मूल प्रति संलग्न है । जिसपर आवेदित पाठ्यक्रम एवं कोषालय शीर्ष अंकित है ।		
2	शुल्क के रू.................का वि.वि.समन्वय प्रकोष्ठ,म.प्र.,भोपालके नाम बैक ड्राफ्ट की मूल प्रति व छायाप्रति संलग्न है ।		
3	समिति का रजिस्ट्रार,फर्म एंव सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।		
4	समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की हस्ताक्षर सहित सूची तथा समिति के बायलॉज संलग्न हैं।		
5	चल सम्पत्ति हेतु स्थितिनुसार लागू राशि...................... की एफ डी आर/अल्प बचत योजना प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है । यह एफ डी आर /अल्प बचत योजना प्रमाणपत्र समिति तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा के संयुक्त नाम से है जिसकी परिपक्वता दिनांक............... ....है।		
6	समिति के स्वामित्व की रु....................................मूल्य की अचल सम्पत्ति का कलेक्टर का साल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न है(स्थिति अनुसार)		
7	अचल सम्पत्ति के दान पत्र / विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की सत्यापित छायाप्रति एंव राजस्व अभिलेखों (खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1) की सत्यापति छायाप्रति संलग्न है । अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (भूमि का क्षैत्रफल/भवन की पूर्ण जानकारी)		
8	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्व विद्यालय द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंस की प्रति संलग्न है।		
9	महाविद्यालय भवन स्वयं का है जिसकी रजिस्ट्री की प्रति एवं भवन स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किराये के भवन का तीन वर्ष का रजिस्टर्ड किरायानामा (भवन लीज पर है तो पूर्ण विवरण एंव अवधि)		
10	लायब्रेरी की पुस्तको की सूची		
11	स्टाफ की सूची का विवरण		
12	स्टाफ के नियुक्ति पत्र		
13	प्रयोगशाला एवं अन्य उपकरणों के देयक की प्रतियां		

14 महाविद्यालय भवन के नक्शे की स्थानीय संस्था(नगर निगम / नगर पालिका) द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

15 महाविद्यालय भवन पूर्णकालिक रुप से उपलब्ध है
अथवा अन्य संस्था के साथ अंशकालिक व्यवस्था है जिसका विवरण संलग्न है।

16 महाविद्यालय भवन में कक्षाओं के संचालन हेतु पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं जिनका विवरण संलग्न है एवं खेल मैदान की उपलब्धता का विवरण अंकित है।

17 शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ पर्याप्त है जिसकी सूची संलग्न है।

18 पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशालाओं के उपकरणों एवं पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तको / पत्रिकाओ की सूची संलग्न है।

19 अचल सम्पत्ति कय करने संबंधी रजिस्ट्रार,फर्म एवं संस्थाएं की स्वीकृति प्राप्त कर प्रति संलग्न है ।

20 अन्य विभागो से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विभाग,परिषद की अनुमति प्राप्त कर सत्यापित प्रति संलग्न है ।

21 समिति द्वारा किये गये / प्रस्तावित विकास कार्यों / गतिविधियों का विवरण संलग्न है।

22 आवेदित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण संलग्न है।

23 समिति के अंकेक्षिक आय–व्यय विवरण व वार्षिक प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

24 आवेदित पाठ्यक्रमों के पूर्व वर्षो की विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सम्बद्धता की प्रति संलग्न है।

25 यदि स्नातकोत्तर कक्षायें आवेदित है तो संबंधित विषय में स्नातक कक्षाओं में तीन पूर्ण हो चुके है,उसकी जानकारी । पाठ्यक्रम अशासकीय महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्व विद्यालय से अनुमोदित है इसकी पुष्टि में शपथपत्र संलग्न है।

26 यह प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु–1 से 22 तक दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है । जानकारी असत्य पाये जाने पर मंजूरी / आवेदन निरस्त करने के संबंध में संस्था की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर...

पदनाम...

संस्था...

सील...

दिनांक.....................................

चालान का नमूना

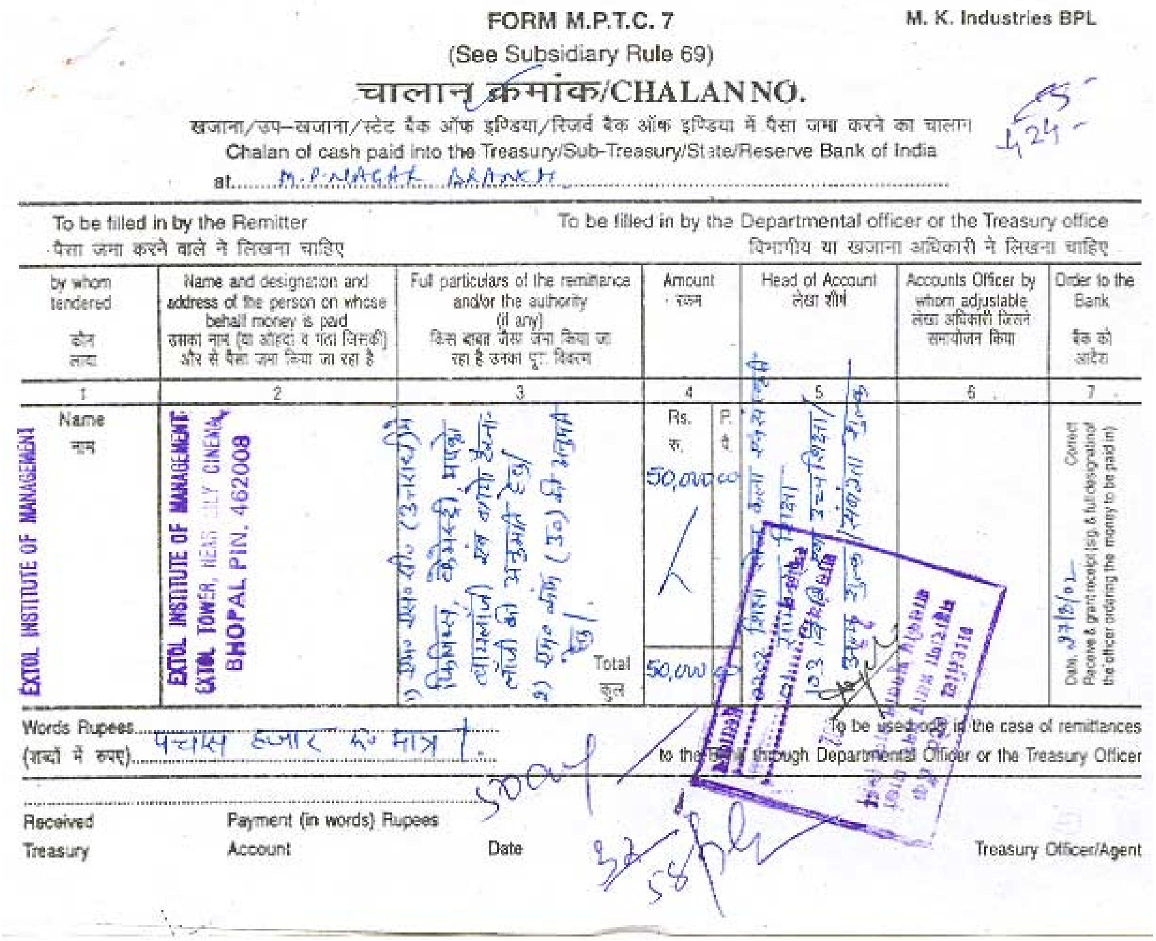

FORM M.P.T.C. 7

M. K. Industries BPL

(See Subsidiary Rule 69)

चालान क्रमांक/CHALAN NO.

खजाना/उप–खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने का चालान

Chalan of cash paid into the Treasury/Sub-Treasury/State/Reserve Bank of India

at........M.P.NAGAR BRANCH........

To be filled in by the Remitter पैसा जमा करने वाले ने लिखना चाहिए				To be filled in by the Departmental officer or the Treasury office विभागीय या खजाना अधिकारी ने लिखना चाहिए		
by whom tendered कौन लाया	Name and designation and address of the person on whose behalf money is paid उसका नाम (या ओहदा व पता जिसकी) और से पैसा जमा किया जा रहा है	Full particulars of the remittance and/or the authority (if any) किस बाबत जैसा जमा किया जा रहा है उनका पूरा विवरण	Amount रकम	Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts Officer by whom adjustable लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	Order to the Bank बैंक को आदेश
1	2	3	4	5	6	7
EXTOL INSTITUTE OF MANAGEMENT Name नाम	EXTOL INSTITUTE OF MANAGEMENT EXTOL TOWER, NEAR LILY CINEMA, BHOPAL PIN. 462008		Rs. रु. P. पै. 50,000-00 Total कुल 50,000-00			Correct Receive & grant receipt (sig. & full designation of the officer ordering the money to be paid in) Date

Words Rupees (शब्दों में रुपए)......पचास हजार रु. मात्र।......

To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer

Received	Payment (in words) Rupees		
Treasury	Account	Date	Treasury Officer/Agent

एफ.डी आर का नमूना

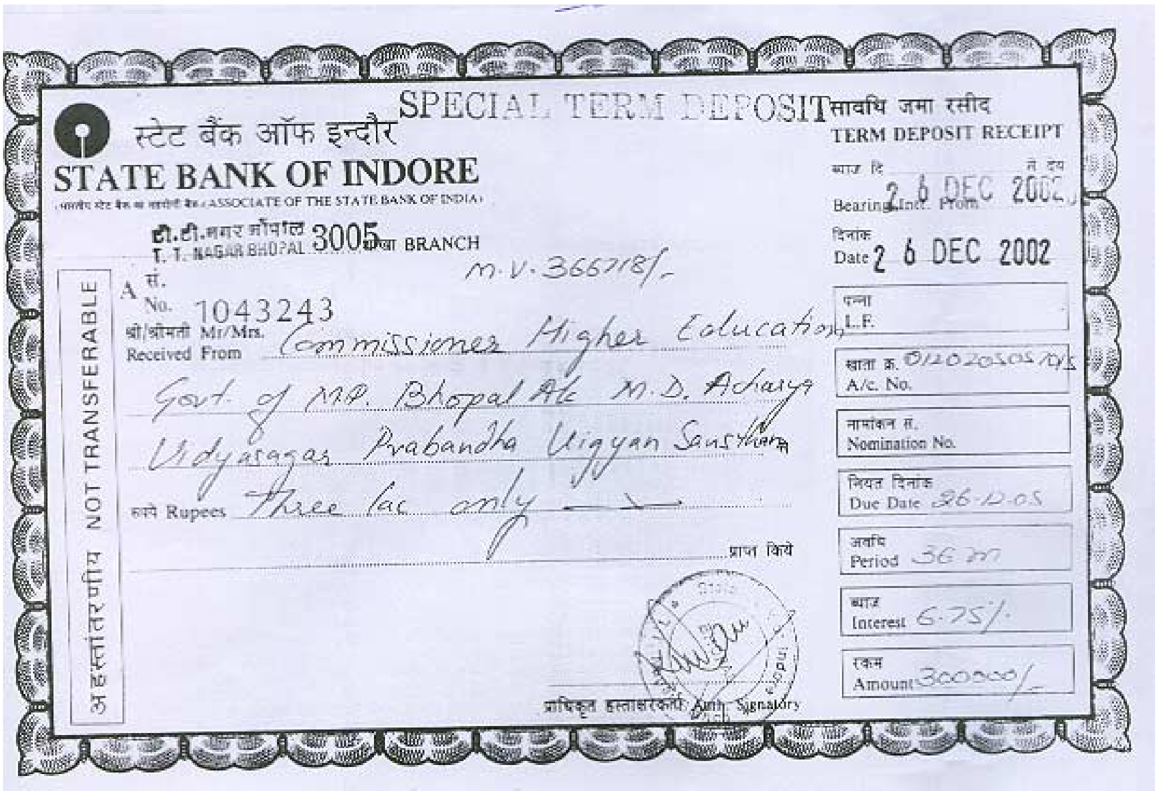

SPECIAL TERM DEPOSIT सावधि जमा रसीद

TERM DEPOSIT RECEIPT

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

STATE BANK OF INDORE

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक) ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA

टी.टी.नगर भोपाल 3005 शाखा BRANCH

T. T. NAGAR BHOPAL

m.v. 366718/-

अहस्तांतरणीय NOT TRANSFERABLE

A सं. No. 1043243

श्री/श्रीमती Mr/Mrs. Received From Commissioner Higher Education Govt. of M.P. Bhopal A/c M.D. Acharya Vidyasagar Prabandha Vigyan Sansthan

रुपये Rupees Three lac only

प्राप्त किये

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Auth. Signatory

ब्याज दि. ... से देय Bearing Int. From 26 DEC 2002

दिनांक Date 26 DEC 2002

पन्ना L.F.

खाता क्र. A/c. No. 0120205051D/S

नामांकन सं. Nomination No.

नियत दिनांक Due Date 26-12-05

अवधि Period 36 m

ब्याज Interest 6.75%

रकम Amount 300000/-

साल्वेंसी प्रमाण–पत्र का नमूना (1 / 2)

प्रारूप ब

मैं संस्कार एजुकेशन सोसायटी आत्मज 500/1, धार रोड, इन्दौर
व्यवसाय तर्फे – तुषार पिता नरेन्द्र खण्डेलवाल निवासी इन्दौर
तेहसील इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. निम्न वर्णित परिशिष्ट की वसूली योग्य सम्पत्ति का स्वामी हूँ व यह मेरे आधिपत्य में है ।

परिशिष्ट

भाग (अ) चल सम्पत्ति

अनुक्रमांक	सम्पत्ति का विवरण	बाजार मूल्य	विवरण
	~~संस्कार एजुकेशन सोसायटी की ग्राम सिरपुर में खसरा नं० 500/1 की आधी भूमि रकबा 0.162 हेक्टेयर की~~		

भाग (ब) अचल सम्पत्ति

अनु. क्रमांक	भू-राजस्व, किराया, क्षेत्रफल सहित सम्पत्ति का विवरण	विवरण ऋण भार यदि हो तो	धारक के तत्व का प्रकार या रूप	बाजार मूल्य	विवरण
1	2	3	4	5	6
	संस्कार एजुकेशन सोसायटी की ग्राम सिरपुर में खसरा नं0 500/1 की आधी भूमि रकबा 0.162 हेक्टेयर की या 0.40 एकड़ की होकर उसमें भवन निर्मित है ।	नहीं	संस्था की	25,00,000 पच्चीस लाख रूपये.	

मैं गम्भीरता पूर्वक घोषित करता हूं कि मेरे सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त परिशिष्ट में वर्णित समस्त तथा मेरे सर्वाधिकार के विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा (ब) में चरण (3) वर्णित विवरण से आगे ऋण भार से मुक्त है ।

दिनांक.......... ....

सही ....

साल्वेंसी प्रमाण–पत्र का नमूना (2/2)

निम्न दस्तावेज [illegible] आधारित है:- [illegible] 2001-02

1. प्रारूप (ख) में [illegible] रिपोर्ट [illegible]
2. [illegible] इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर की अनुशंसा।
3. विक्रय पत्र की [illegible] प्रति शपथ पत्र, चार मुद्रित [illegible] पत्र।
4.

यदि लेखबद्ध किया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण—

मैंने आवेदन-पत्र के [illegible] की पड़ताल की है और शपथ-पत्र की सत्यता के बारे में संतुष्ट हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उचित जांच के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि

श्री [illegible] 500/1 [illegible], इन्दौर

[illegible]

निवासी इन्दौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)

जिन्होंने मेरे समक्ष उक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, आज दिनांक 20 माह 12 सन् 200 2

को रूपये 15,00,000/- (शब्दों में रूपये पन्द्रह लाख रूपये सिर्फ)

की आर्थिक स्थिति तक सक्षम हैं मैं इनकी सम्पत्ति को निम्न बाजार मूल्य को अनुमानित करता हूँ।

चल सम्पत्ति— ग्राम [illegible] के सर्वे नं. 500/1 रकबा 0.40 एकड़ पर [illegible]

अचल सम्पत्ति—

यह प्रमाण पत्र एकमात्र कार्य— [illegible] में पेश करने हेतु।

के लिये प्रदान किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र दिनांक 20-12-2002 से 19-6-2003 (अक्षरी दिनांक बीस दिसम्बर दो हजार दो से 19 जून दो हजार तीन) तक अर्थात् छः माह हेतु।

तक

वैध

[illegible]

जिला इंदौर.